बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
आदेश

आदेश संख्या–11/चक0 संविदा नियोजन–08–01/23 848/चक0, पटना दिनांक 25/08/2023

चकबंदी निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 708/चक0 दिनांक 17.07.2013 के द्वारा श्री देवनाथ राय, कार्यालय परिचारी, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना को दिनांक 31.07.2023 को सेवानिवृति पश्चात् पुनः उसी पद पर संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है।

तद आलोक में श्री देवनाथ राय संविदा कार्यालय परिचारी के रूप में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना में दिनांक 01.08.2023 को योगदान समर्पित किये हैं।

श्री देवनाथ राय, संविदा कार्यालय परिचारी द्वारा दिनांक 01.08.2023 को समर्पित योगदान स्वीकृत करते हुए श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना के साथ संबद्ध किया जाता है।

श्री राय को संविदा मानदेय का भुगतान चकबंदी निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 708 दिनांक 17.07.2023 की कंडिका 3(ग) में निर्धारित नियत संविदा मानदेय के अनुरूप भुगतान किया जायेगा तथा शेष सभी शर्ते संविदा नियोजन के अनुसार प्रभावी होंगे।

प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 848 /चक0, पटना, दिनांक 25/08/2023/

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अनुदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना/श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना/लेखा शाखा, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना/बजट शाखा, चकबंदी निदेशालय, पटना/श्री देवनाथ राय, संविदा कार्यालय परिचारी, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय,
बिहार, पटना।

D:\2023\Anil DEO\Devnath sir\office order.doc